न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या **54 / 2023**

अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मालाराम पुत्र पूराराम 2. नीम्बाराम पुत्र पूराराम 3. मेहराराम पुत्र पूराराम 4. रावताराम पुत्र पूराराम 5. पूराराम पुत्र भोमाराम जाति जाट, निवासी बूढातला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. पपूराम पुत्र सेहराराम जाति बावरिया, निवासी खांगटा तहसील पीपीड़ शहर, जिला जोधपुर हाल निवासी रातड़ी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 – श्री बालाराम गोदारा।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 07.06.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 546 रकबा 9.1621 हैक्टेयर मौजा बूढातला, तहसील शिव में आया हुआ है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1347 / 1338 रकबा 0.1133 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि के नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं यथा आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम दूरी को पूरी करता है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता ग्राम शिव से फलसुण्ड जाने वाली डामर सड़क से ग्राम उंचावड़ा जाने वाली ग्रेवल सड़क से जुड़ने हेतु चाहा गया है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावे। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ता कटाण में जाने वाली भूमि क्षेत्र की प्रतिफल राशि जमा करवाने बाबत वचनबद्ध है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर ईकबाली जवाब पेश कर बिना प्रतिफल राशि लिये अपनी सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत में से आवागमन हेतु रास्ता देने में अपनी सहमति प्रदान की गई। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी तक आवागमन हेतु नवीन रास्ता चाहा गया है, जिस पर विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने खसरा की सम्पूर्ण भूमि रास्ता कटाण हेतु देने बाबत् सहमति प्रदान करने पर तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए आवेदन के संलग्न खसरा नम्बर 1347 / 1338 की सम्पूर्ण 0.1133 हैक्टेयर भूमि नक्शा अनुसार

रास्ता कटाण का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा की सम्पूर्ण भूमि संलग्न नक्शा अनुसार बिना प्रतिफल राशि लिए रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के आवेदन को विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को स्वीकार करते हुए बिना प्रतिफल लिये रास्ता घोषित करवाने बाबत् अपनी सहमति प्रदान की गई है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन हेतु सबसे निकटतम रास्ता है तथा उभयपक्ष पक्षकारान् उक्त रास्ता कटाण हेतु सहमत है। अतः ऐसी स्थिति में माफिक उभयपक्ष की सहमति अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 546 रकबा 9.1621 हैक्टेयर मौजा बुढातला, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1347/1338 रकबा 0.1133 हैक्टेयर की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि का बिना प्रतिफल राशि लिये प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 07.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
शिव (बाड़मेर)